

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
राजस्व लोक अदालत 2017 कैम्प गंगापुर
पीठासीन अधिकारी चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 173/2013 रे.वाद
अन्तर्गत धारा :-53आर.टी.ए.

उनवान प्रकरण

1. शिव कुमार पिता इन्द्रमल ब्राहमण
2. मु0 कान्ता पुत्री इन्द्रमल ब्राहमण
3. मु0 टीना पुत्री इन्द्रमल ब्राहमण
4. मु0 पारसी पुत्री इन्द्रमल ब्राहमण
5. मु0 कमलादेवी पत्नि इन्द्रमल ब्राहमण
सर्व निवासी दियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

—वादीगण

1. सम्पत पिता शंकरलाल ब्राहमण
2. सुरेश पिता शंकरलाल ब्राहमण
3. राजु पिता शंकरलाल ब्राहमण
4. मु0 गीता बेवा शंकरलाल ब्राहमण
5. संतोषलाल पिता माधु ब्राहमण
6. मु0 शांतादेवी पत्नि माधु ब्राहमण
सर्व निवासी दियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा ।
7. मु0 दुर्गा देवी पुत्री माधु पत्नि सुनील कुमार शर्मा निवासी मेघरास तह0 सहाड़ा
जिला भीलवाड़ा
8. मदनलाल पिता बद्रीलाल ब्राहमण
9. कैलाशचन्द्र पिता बद्रीलाल ब्राहमण
10. लक्ष्मण पिता नानुराम ब्राहमण
11. मु0 सोसर बेवा नानुराम ब्राहमण
12. किशनलाल पिता गोपीलाल ब्राहमण
13. मु0 संतोकी बेवा गोपीलाल ब्राहमण
सर्व निवासी दियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा ।
14. सहकारी भुमि विकास बैंक लि0 शाखा गंगापुर जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा
प्रबन्धक ।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाड़ा मु. गंगापुर जिला भीलवाड़ा ।

—प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 14.07.2017

वादीगण द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत
कर अंकित किया कि ग्राम दियास पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा के
बेरुन हल्का आबादी में वादीगण संख्या 01 लगायत 05 एवं प्रतिवादीगण संख्या 01
लगायत 13 संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं करने का पत्र

आराजी संख्या 358 रकबा 1.30 हे०, 359 रकबा 1.32 हे०, कुल किता 02 रकबा 2.62 हे० खाता संख्या 101 में स्थित है । जिसमें वादीगण का खाता संख्या 289 कुल किता 08 रकबा 2.23 हे०, में से 1/9 हिस्सा निहित है तथा खाता संख्या 100 में अकिंत आराजीयात कुल किता 03 रकबा 3.63 हे०, भूमि में से वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है एवं खाता संख्या 101 में अकिंत आराजीयात कुल किता 02 रकबा 2.62 हे०, भूमि में से वादीगण का 1/6 हिस्सा निहित है । अन्य हिस्सा प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड अनुसार है । खाता संख्या 289 में अकिंत आराजी संख्या 1027, 1052 गै०मु० चाह एवं आराजी संख्या 1030 व 1031 गै०मु० रास्ता हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 13 सामलाती है । वादीगण संख्या 01 लगायत 05 एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 13 अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से भूमि को उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अडचन आती है । उक्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अपने हिस्से एवं कब्जे अनुसार हिस्सा विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खातें कायम करवाया जाए । प्रकरण विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । वादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादीगण उपस्थित होकर बिट्स एवं बॉडस के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता कब्जे व हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

प्रकरण का विधिवत विचारण किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात को विभाजन योग्य पाया जाने से वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया और तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश प्रदान किया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण व प्रतिवादीगण को सुना गया विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार ने आपत्ति नहीं कि लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है ।

--:आदेश:-

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है और संयुक्त खातेदारी की आराजीयात को खातेदारों में निम्नानुसार विभाजन किया जाता है ।

1. शिवकुमार कान्ता टीना पारसी पिता इन्द्रमल कमलादेवी पत्नि इन्द्रमल

आ०नं०

रकबा

1184

2.15

कुल किता 01

कुल रकबा 2.15 हे०

2. लक्ष्मण पिता नानुराम सोसर बेवा नानुराम 1/2 किशनलाल पिता गोपीलाल

संतोकी बेवा गोपीलाल 1/2 ब्राह्मण सा. देह

आ०नं०

रकबा

1054

0.15

3. प्यारीबाई पत्नि मोहनलाल पूर्विया किशनलाल पिता गोपीलाल संतोकी बेवा
गोपीलाल सम्पत सुरेश राजु पिता शंकरलाल गीता बेवा शंकरलाल ब्राह्मण सा.
देह

आ०नं०	रकबा
358	1.30
359	1.32

कुल किता 02 कुल रकबा 2.62 हे०

4. सम्पत सुरेश राजु पिता शंकरलाल गीता बेवा शंकरलाल संतोषलाल दुर्गादेवी
पिता माधु शांता देवी पत्नि माधु मदनलाल कैलाशचन्द्र पिता ब्रदीलाल लक्ष्मण
पिता नानुराम सोसर बेवा नानुराम किशनलाल पिता गोपीलाल संतोकी बेवा
गोपीलाल सा. देह खातेदार


रहन:- जी.एस.एस. लि० सातलियास हिस्सा कैलाश पर

आ०नं०	रकबा
1025	0.39
1026	0.43
1027	0.04
1028	0.54
1029	0.75
1030	0.04
1031	0.03
1052	0.01

कुल किता 08 कुल रकबा 2.23 हे०

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक्-पृथक् खाते कायम किये
जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे। अंतिम
डिक्री जारी हो आदेश आज दिनांक 14.07.2017 को कैम्प मु. गंगपुर में सुनाया
गया पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।




(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक जज (अधीनस्थ)